

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961
(कानूनी नियम और आदेश)

प्रारूप 24क
(नियम 85ख देखिए)



2

यह प्रारूप आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 139 के अधीन संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान राजनैतिक दल की आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख से पूर्व निर्वाचन आयोग के समक्ष फाइल किया जाना चाहिए और इस आशय का एक प्रमाणपत्र आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन छूट का दावा करने के लिए आय-कर विवरणी के साथ संलग्न किया जाना चाहिए ॥

- राजनैतिक दल का नाम : छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा
- राजनैतिक दल की प्रस्थिति (मान्यताप्राप्त/अमान्यताप्राप्त) : पंजीकृत राजनैतिक दल
- राजनैतिक दल के मुख्यालय का पता : 24-1-1990 (56/90) जिला-बालोद (छ.ग.)
- निर्वाचन आयोग के पास राजनैतिक दल के रजिस्ट्रीकरण की तारीख : 24-1-1990 (56/90)
- स्थायी खाता सं. (पेन) और वह आय-कर वार्ड/सर्किल जहां राजनैतिक दल की विवरणी फाइल की जानी है : 24-1-1990 (56/90)
- वित्तीय वर्ष 2009-2010 के दौरान प्राप्त ऐसे अभिदायों के जो बीस हजार रुपये से अधिक हैं और -

क्रम सं.	अभिदात्री व्यक्ति/कंपनी का नाम और पूरा पता	पेन (यदि कोई हो) और आय-कर वार्ड / सर्किल	अभिदाय की रकम	अभिदाय की रीति (चैक/ मांगदेय ड्राफ्ट/ नकद)	टिप्पणियां
	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

*चैक/ मांगदेय ड्राफ्ट द्वारा संदाय की दशा में, उस बैंक या बैंक की शाखा का नाम जिस पर चैक/ मांगदेय ड्राफ्ट लिखा गया है।

7. यदि अभिदायी एक कंपनी है तो क्या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 239क के अधीन अधिकथित शर्तों का अनुपालन किया गया है (कंपनी से अभिप्राप्त इस आशय के प्रमाणपत्र की एक प्रति संलग्न की जानी चाहिए)।

मैं, नासिरुल्लाह आदय (स्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम) पुत्र/ पुत्री सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, इस प्रारूप में दी गई जानकारी ठीक, पूर्ण और सही तौर पर बताई गई है।

मैं यह घोषणा करता हूं कि मैं, ऊपर नामित राजनैतिक दल की ओर से कोषाध्यक्ष की अपनी हिसियत में इस प्रारूप को सत्यापित कर रहा हूं और मैं ऐसा करने के लिए सक्षम भी हूं।

(कोषाध्यक्ष/ प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर और नाम)

तारीख :

स्थान : छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा

अध्यक्ष
छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा
जिला-बालोद (छ.ग.)

अध्यक्ष
छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा
जिला-बालोद (छ.ग.)